छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
ए-25, वी.आई.पी.एस्टेट, वी.आई.पी. क्लब के पास, खम्हारीडीह,
पो. शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) 492007
दूरभाष- 4065100 से 4065110 फैक्स - 2283594
ई-मेल : mfpfed.cg@nic.in वेबसाइट : www.cgmfpfed.org

अधिसूचना क्रमांक संघ/गोंद/2015-16/4 **दिनांक 28.09.2015**

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2015-16 संग्रहण काल में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग एक (कुल्लू) एवं गोंद वर्ग दो (धावड़ा, खैर, बबूल) के अग्रिम विक्रय हेतु

आनलाइन ई-नीलाम सूचना

प्राक्कथन

- छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, (जिससे इसके पश्चात् शासन कहा गया है), ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर, (जिससे इसके पश्चात् संघ कहा गया है), को राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में गोंद वर्ग एक/गोंद वर्ग दो के संग्रहण, क्रय एवं व्यापार हेतु, छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 4 के अंतर्गत अभिकर्ता नियुक्त किया है,

- शासन के द्वारा वर्ष 2015-16 सीजन में संघ को अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए प्रदेश की प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्थाओं (जिससे इसके पश्चात प्राथमिक समिति कहा गया है), जिनमें राज्य शासन एक अंशधारक है, के पर्यवेक्षण में संबंधित गोंद वर्ग एक/गोंद वर्ग दो की इकाईयों (जिसे इसके पश्चात् इकाई कहा गया है), में गोंद वर्ग एक/गोंद वर्ग दो का, जिला वनोपज सहकारी यूनियन (जिसे इसके पश्चात जिला यूनियन कहा गया है), के पर्यवेक्षण में, संग्रहण कराने के निर्देश दिए गए हैं,

- शासन के आदेशानुसार, संग्राहकों द्वारा संग्रहण केन्द्र पर (अ) शासकीय वन भूमि से तथा (ब) निजी गोंद वर्ग एक/गोंद वर्ग दो उत्पादक क्षेत्र द्वारा लाए गए गोंद वर्ग एक/गोंद वर्ग दो के लिए, राज्य शासन द्वारा निर्धारित क्रमशः (अ) प्रति क्विंटल की संग्रहण दर (मजदूरी) तथा (ब) प्रति क्विंटल क्रय मूल्य का तत्संबंधित इकाई के लिए नियुक्त अधिकृत क्रेता के द्वारा स्वयं भुगतान कर प्राथमिक समितियों के पर्यवेक्षण व नियंत्रण में गोंद वर्ग एक/गोंद वर्ग दो संग्रहित किया जावेगा तथा गोंद का उपचारण, परिवहन एवं गोदामीकरण आदि क्रेता के स्वयं के व्यय पर किया जावेगा ।

अतएव अब संघ गोंद के क्रय के लिए इच्छुक व्यक्तियों/पंजीकृत फर्मों / विधिक कंपनियों से ई-नीलाम में भाग लेने हेतु आमंत्रित करता है । ई-नीलाम सूचना (परिशिष्ट I से XI तक तथा अनुसूची सहित) संघ की वेबसाईट www.cgmfpfed.org तथा आनलाइन ई-नीलाम के सर्विस प्रोवाईडर के पोर्टल **www.ncdexspot.com** से निम्नानुसार तिथि से डाउनलोड किये जा सकते हैं :-

ई-नीलाम प्रारम्भ होने की तिथि एवं समय	ई-नीलाम समाप्त होने की तिथि एवं समय	जिस तिथि से ई-नीलाम सूचना डाउनलोड की जा सकती हैं
23.10.2015 प्रातः 11.00 बजे से	28.10.2015 दोपहर 16.00 बजे तक (30 मिनट के 3 extensions अतिरिक्त)	05.10.2015

परिशिष्ट-I (निबंधन एवं शर्तें)

2. परिभाषायें, ई-नीलाम के निबंधन एवं शर्तें निविदाकार/बोलीदार के लिए निर्देश

इस सूचना, इसकी अनुसूची एवं इसके विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये विभिन्न शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो परिशिष्ट- I में सम्मिलित "ई-नीलाम के निबंधन एवं शर्तें तथा बोलीदार के लिए निर्देश", में दिए गए अनुसार होंगी । ये "ई-नीलाम के निबंधन एवं शर्तें तथा बोलीदार के लिए निर्देश" इस ई-नीलाम सूचना के अभिन्न अंग हैं और यह समझा जावेगा कि इस सूचना में समस्त प्रयोजनों के लिये सम्मिलित हैं ।

अनुसूची (गोंद वर्ग एक/गोंद वर्ग दो की इकाई सूची)

3. इकाई सूची एवं करार अवधि -

विभिन्न समितियों से संग्रहित/क्रय की जाने वाली मात्रा के एवं इस सूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित गोंद वर्ग एक/गोंद वर्ग दो की इकाइयों के क्रय के लिये दिनांक 30.08.2016 को समाप्त होने वाली करार अवधि के लिये एतद् द्वारा ई-नीलाम आयोजित की जाती है ।

4. पंजीयन फार्म आदि -

परिशिष्ट-II (ई-नीलाम प्रत्रक)
परिशिष्ट-III (बोलीदार का करारनामा)

(I) NCDEX e Markets Ltd. (NeML) का पंजीयन फार्म, नीलाम पत्रक का नमूना (**परिशिष्ट - II**), बोलीदार का करारनामा (**परिशिष्ट - III**) मय अन्य परिशिष्टों के संघ की ऊपर दर्शित वेबसाइट अथवा आनलाइन ई-नीलाम के सर्विस प्रोवाईडर के पोर्टल **www.ncdexspot.com** से डाइनलोड किये जा सकते हैं ।

(II) बोलीदार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने पंजीयन फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रति संलग्न किया है ।

(III) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के अनुसार बोलीदार को स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) पंजीयन फार्म में (निर्धारित स्थान पर) अंकित करना एवं PAN कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

5. ई-नीलाम में भाग लेना -

(I) बोलीदार स्वयं यह सुनिश्चित करेगा कि उसने ई-नीलाम में भाग लेने के पूर्व बोलीदार का करारनामा (**परिशिष्ट - III**) निष्पादित किया है जो कि ई-नीलाम में भाग लेने हेतु अनिवार्य है ।

परिशिष्ट - X (बोलीदारों को ई-नीलाम में भाग लेने हेतु अनुदेश)

(Time Schedule) परिशिष्ट - XI

(II) बोलीदारों को आनलाइन ई-नीलाम में भाग लेने हेतु विस्तृत अनुदेश (**परिशिष्ट-X**) आनलाइन ई-नीलाम के सर्विस प्रोवाईडर के वेबसाईट **www.ncdexspot.com** तथा संघ के वेबसाईट **www.cgmfpfed.org** पर उपलब्ध होगा तथा आनलाइन ई-नीलाम Time Schedule (**परिशिष्ट-XI**) में दर्शित दिनांक एवं समय के अनुसार होगी । ई-नीलाम से सम्बंधित किसी भी प्रकार की सहायता हेतु NCDEX e Markets Ltd. (NeML) के Business Development Managers से सम्पर्क किया जा सकता है ।

6. ई-नीलाम कार्यक्रम -

ई-नीलाम पूर्व में प्रकाशित तिथि एवं समय (**परिशिष्ट - XI**) के अनुसार सर्विस प्रोवाईडर के पोर्टल **https://cgmfpfed.neml.in** में प्रारम्भ होगा । बोलीदार को प्रथमतः auction bids page में वनोपज GUM 2015-16 (ADVANCED) का चयन करना होगा । आनलाइन बोली केवल रु. प्रति क्विंटल में Time Schedule (**परिशिष्ट - XI**) में दर्शित तिथि एवं समय के अन्दर भरना होगा ।

7. क्रेता करारनामा का निष्पादन -

परिशिष्ट-VII (बोलीदारवार आबंटित लाटों की सूची)
परिशिष्ट-VIII (सफल बोलीदारों की सूची)
परिशिष्ट-IX (असफल बोलीदारों की सूची)

(I) ई-नीलाम में लिये गये निर्णय अनुसार सफल बोलीदारों को आवंटित इकाईयों की सूची संघ की बेवसाइट पर **परिशिष्ट - VII** में उपलब्ध रहेगी । सफल बोलीदारों की सूची एवं असफल बोलीदारों की सूची संघ की बेवसाइट **www.cgmfpfed.org** पर क्रमशः **परिशिष्ट - VIII** एवं **परिशिष्ट - IX** में उपलब्ध रहेगी । सफल बोलीदार का प्रस्ताव के स्वीकृत होने की सूचना ई-मेल द्वारा दी जावेगी और ऐसी स्वीकृति जारी होने की तिथि से सम्बंधित गोंद वर्ग एक/गोंद वर्ग दो की इकाई के क्रय की संविदा बोलीदार और संघ के बीच अस्तित्व में आ गई मानी जावेगी एवं बोलीदार इकाई का क्रेता माना जावेगा ।

परिशिष्ट-IV (क्रेता का करारनामा)

(II) सफल बोलीदार को, उसके प्रस्ताव की संघ द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के 15 दिन के अन्दर, प्रत्येक इकाई के लिए **परिशिष्ट - IV** (क्रेता का करारनामा) में दिये गये प्रपत्र में करारनामा मुख्य वन संरक्षक अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति के समक्ष निष्पादित करना होगा । बोलीदार के द्वारा 2000/- रूपये बतौर फीस जमा किये जाने पर इस अवधि में मुख्य वन संरक्षक के द्वारा 7 दिन की वृद्धि की जा सकेगी । इस प्रकार 15 वां दिन/7 वां दिन यदि सार्वजनिक अवकाश रहता है तो करारनामा निष्पादन आगामी कार्य दिवस में किया जा सकेगा । 15 दिन/7 दिन की अवधि की गणना संघ मुख्यालय से आदेश जारी होने की तिथि के आगामी दिन से की जावेगी ।

(III) करारनामे के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में क्रेता की नियुक्ति प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निरस्त की जा सकेगी और ऐसे निरस्तीकरण पर सम्बंधित इकाई के क्रय मूल्य के 10% की राशि सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर ली जायेगी और मुख्य वन संरक्षक द्वारा बोलीदार को ऐसी अवधि के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा जो 3 वर्ष तक हो सकती है । इसके अतिरिक्त यदि इकाई/इकाईयों, जिनके लिये क्रेता की नियुक्ति निरस्त की गई है, के पश्चात्वर्ती निर्वर्तन पर संघ को हुई हानि, यदि कोई हो, क्रेता को वहन करनी होगी और यदि ऐसी हानि की रकम क्रेता के द्वारा, उसको इस संबंध में जारी की गई मांग सूचना के 15 दिन के अन्दर, जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू राजस्व के बकाया बतौर वसूली योग्य होगी, परन्तु यदि ऐसे पश्चात्वर्ती निर्वर्तन में क्रय मूल्य से अधिक राशि प्राप्त होती है तो क्रेता का इस अधिक राशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा ।

8. देय राशि का भुगतान-

(अ) शासन द्वारा स्वीकृत संग्रहण दर से क्रेता स्वयं अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रबंध संचालक जिला यूनियन के द्वारा निर्धारित संग्रहण केन्द्रों पर ही संग्रहणकर्ताओं को भुगतान कर गोंद वर्ग एक (प्रथम श्रेणी)/ गोंद वर्ग एक (द्वितीय श्रेणी)/गोंद वर्ग एक (तृतीय श्रेणी)/गोंद वर्ग दो संग्राहकों से प्राप्त करेगा ।

(ब) क्रय मूल्य की शेष राशि एवं स्वीकृत निविदा/ई-नीलाम दर पर करों/उपकरों की पूर्ण राशि प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को संग्रहण तिथि के 15 दिवस में करने के उपरांत ही क्रेता संग्रहण केन्द्र से गोंद वर्ग एक (प्रथम श्रेणी)/ गोंद वर्ग एक (द्वितीय श्रेणी)/गोंद वर्ग एक (तृतीय श्रेणी)/गोंद वर्ग दो परिवहन कर सकेगा ।

9. गोंद वर्ग एक (प्रथम श्रेणी)/ गोंद वर्ग एक (द्वितीय श्रेणी)/ गोंद वर्ग एक (तृतीय श्रेणी)/ गोंद वर्ग दो का परिवहन/निकासी -

देय राशि के भुगतान उपरांत गोंद वर्ग एक (प्रथम श्रेणी)/ गोंद वर्ग एक (द्वितीय श्रेणी)/ गोंद वर्ग एक (तृतीय श्रेणी)/ गोंद वर्ग दो का परिवहन/निकासी **परिशिष्ट - I** एवं **IV** में दिये गये प्रावधानों के अनुसार होगा ।

10. परिशिष्ट -

परिशिष्ट - I से **IV** तथा अनुसूची जिनका कि सन्दर्भ ऊपर दिया गया है तथा **परिशिष्ट - V** से **XI** (**परिशिष्ट - II, III** तथा **VII** से **XI** केवल अंग्रेजी में उपलब्ध होंगे) जो की संघ की अधिसूचना क्रमांक संघ/गोंद/2015-16/4 दिनांक 28.09.2015 के साथ संलग्न है, समस्त प्रयोजनों के लिये इस ई-नीलाम सूचना के परिशिष्ट है उनको संदर्भ के लिये देखें तथा भविष्य की ई-नीलामों हेतु सुरक्षित रखें ।

11. निबंधनों एवं शर्तों का स्वीकार करना -

इस ई-नीलाम के संदर्भ में ई-नीलाम में भाग लेने के कार्य को ई-नीलाम सूचना की शर्तों तथा **परिशिष्ट - I** में दिये गये निबंधनों एवं शर्तों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा ।

12. क्रेता करारनामा निष्पादन न किये जाने अथवा करारनामा समाप्त होने की दशा में

हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी -

क्रेता से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा/ई-नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां ।

13. यदि कोई क्रेता शासन/संघ के विरूद्ध अदालत में जाता है तथा निर्णय शासन/संघ के पक्ष में होता है तो क्रेता अदालती कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये जिम्मेदार होगा, इसकी वसूली क्रेता से ब्याज सहित की जावेगी ।

14. हिन्दी रूपान्तरण प्राधिकृत पाठ -

इस सूचना का तथा इसकी अनुसूची एवं परिशिष्टों का हिन्दी रूपान्तरण सभी प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत पाठ समझा जावेगा ।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

परिशिष्ट- I

निविदा/ई-नीलाम के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों/बोलीदारों के लिए निर्देश जो ई-नीलाम सूचना क्रमांक संघ/गोंद/2015-16/4 दिनांक 28.09.2015 के भाग है

ई-नीलाम के निबंधन व शर्तें तथा बोलीदारों के लिए निर्देश और ई-नीलाम सूचना एवं उसकी अनुसूची व विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें नीचे दिये अनुसार हैं । ये ई-नीलाम सूचना के अभिन्न अंग होंगे ।

1. परिभाषाएं -

इस अधिसूचना तथा इसके परिशिष्टों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(i) **"अधिनियम"** से तात्पर्य तत्समय प्रवृत छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 से हैं ।

(ii) **"अभिकर्ता"** से तात्पर्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अंर्तगत नियुक्त अभिकर्त्ता से है ।

(iii) **"देय राशि"** से तात्पर्य इकाई में संग्रहित मात्रा के क्रय मूल्य तथा उस पर देय कर के योग से है, जो सफल बोलीदार को देनी होगी । अधिसूचित मात्रा से अधिक संग्रहित / क्रय मात्रा का बोली पर करों सहित क्रय मूल्य इसमें सम्मिलित होगा ।

(iv) **"परिशिष्ट"** से तात्पर्य ई-नीलाम सूचना के परिशिष्ट से है ।

(v) **बकाया** से अभिप्रेत है बोलीदार के विरूद्ध बकाया ऐसी कोई राशि जो छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग अथवा संघ को शोध्य है और जिसकी सूचना ई-नीलाम समाप्ति की तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व वन विभाग अथवा संघ अथवा उनके पदाधिकारी द्वारा उसे पंजीकृत डाक से भेजी गई है ।

(vi) **संग्रहण काल** से तात्पर्य 01.07.2015 से 30.06.2016 तक की अवधि से है । गोंद का संग्रहण/फड़ों पर क्रय केवल इसी अवधि में किया जावेगा ।

(vii) **"मुख्य वन संरक्षक"** से तात्पर्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक से है, जो संघ के पदेन क्षेत्रीय महाप्रबंधक भी घोषित है,

(viii) **"जिला यूनियन"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत कोई जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, जो संघ की सदस्य हो,

(ix) **"वन मंडलाधिकारी"** से तात्पर्य संबंधित वन मंडलाधिकारी (सामान्य) से हैं, जो संघ के संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक भी घोषित हैं,

(x) **"संघ"** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर से है ।

(xi) **"शासन"** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ शासन से है,

(xii) **"इकाई"** से तात्पर्य किसी विशिष्ट वन मंडल के भौगोलिक क्षेत्र से है जिसको कि अनुसूची में स्पष्ट किया ग*या है ।*

(xiii) ***"नियमावली"*** से तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) नियम 1969 से है ।

(xiv) **"प्राथमिक समिति"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसयटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित जो "जिला यूनियन" की सदस्य हो ।

(xv) **"क्रय मूल्य"** से तात्पर्य उस राशि से है, जो गोंद वर्ग एक (प्रथम श्रेणी)/गोंद वर्ग दो धावड़ा गोंद की इकाईयों की अधिसूचित क्विंटल में दर्शित मात्रा, को नीचे (xvi) की परिभाषित क्रय दर से गुणा करने पर प्राप्त हो ।

(xvi) **"क्रय दर"** से तात्पर्य बोलीदार के द्वारा प्रस्तावित उस प्रति क्विंटल बोली से है, जो संघ के द्वारा स्वीकृत की गई हो ।

(xvii) **"परिक्षेत्र अधिकारी"** से तात्पर्य संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी से हैं, जो संघ के पदेन परिक्षेत्र प्रबंधक भी हैं,

(xviii) **"देय कर"** से तात्पर्य इकाई के क्रय मूल्य पर समय-समय पर प्रवृत्त देय मूल्य संवर्धित कर, वन विकास उपकर व तत्समय प्रवृत्त अन्य सभी कर, उपकर/ ड्यूटी आदि से है,

(xix) **"बोली"** से तात्पर्य उस प्रति क्विंटल दर (जिसमें मूल्य संवर्धित कर, वन विकास उपकर तथा अन्य कोई कर/उपकर सम्मिलित नही हैं) से है जो बोलीदार किसी इकाई के गोंद वर्ग एक (प्रथम श्रेणी)/गोंद वर्ग दो धावड़ा गोंद के क्रय के लिए **परिशिष्ट - II** में दिए गए ई-नीलाम पत्रक में अलग-अलग इकाई के लिए प्रस्तावित करेगा । अन्य प्रजाति /श्रेणी में गोंद की बोली की गणना के लिये 5.55 किलो गोंद वर्ग एक (तृतीय श्रेणी) एवं चार किलो गोंद वर्ग एक (द्वितीय श्रेणी), तीन किलो गोंद वर्ग एक (प्रथम श्रेणी) के समतुल्य तथा तीन किलो धावड़ा गोंद पाँच किलो खैर/बबूल के समतुल्य माना जावेगा ।

(xx) **"बोलीदार"** से तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा पंजीकृत फर्म या विधिक कंपनी से है, जो इन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन, हर्रा क्रय करने हेतु बोली प्रस्तुत करता है और इस अभिव्यक्ति में उसका दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे ।

(xxi) **"क्रय क्षमता"** से तात्पर्य उस राशि से है जो इन शर्तों एवं निबंधनों की शर्त क्रमांक 5(II) के प्रावधानों के अनुसार मान्य की गई हो ।

(xxii) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो ऊपर परिभाषित नहीं हैं, परन्तु जो अधिनियम अथवा नियमावली में परिभाषित हैं, अर्थ वही होगा जो उनके लिए कथित अधिनियम अथवा नियमावली में दिया गया है ।

2. इकाईयों का विवरण -

इकाईयों का विवरण (नाम एवं सीमा) जिसमें से गोंद वर्ग एक (प्रथम श्रेणी)/ गोंद वर्ग एक (द्वितीय श्रेणी)/गोंद वर्ग एक (तृतीय श्रेणी)/गोंद वर्ग दो संग्रहण किया जाना है का विवरण अधिसूचना क्रमांक संघ/गोंद/2015-16/4 दिनांक 28.09.2015 की अनुसूची में दिया गया है ।

3. अधिनियम के प्रावधान का लागू होना -

अधिनियम तथा नियमावली के समस्त तत्समय प्रवृत्त प्रावधान जहां तक कि वे क्रेताओं के उपर लागू होते है ई-नीलाम सूचना एवं क्रेता करारनामे के निबंधनों तथा शर्तों के विशेषतः अभिन्न अंग होंगे ।

4. बोली प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत व्यक्ति आदि-

(I) पंजीयन फार्म पर हस्ताक्षर करने वाले तथा बोली देने वाले व्यक्ति/व्यक्तियें द्वारा यह उल्लेखित किया जायेगा कि वह/वे किस हैसियत से पंजीयन फार्म पर हस्ताक्षर कर रहा है/कर रहे हैं, उदाहरणार्थ, सम्बंधित फर्म के पूर्ण स्वामी अथवा किसी मर्यादित कम्पनी के प्रबंध संचालक, संचालक अथवा सचिव के रूप में । भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों के नाम अभिलिखित होंगे और पंजीयन फार्म पर उनके सम्यक् रूप में नियुक्त अटार्नी द्वारा जिसे मुख्त्यारनामा द्वारा या भागीदारी विलेख में दिये गये अनुसार संविदा संबंधी सभी विषयों में सभी भागीदारों को आबद्ध करने का अधिकार हो, हस्ताक्षर किये जायेंगे । पंजीकृत भागीदारी विलेख की एक सत्य प्रति पंजीयन फार्म के साथ संलग्न की जायेगी जो न करने पर पंजीयन अमान्य किये जाने योग्य होगी । जिस फर्म ने करार किया है, उस फर्म के प्रत्येक भागीदार के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह करार के चालू रहने के दौरान उसके अनुबंधों तथा शर्तों का अनुपालन करें, भले ही अभ्यंतर काल में भागीदारी का विघटन हो गया हो । मर्यादित कम्पनी की स्थिति में पंजीयन फार्म पर तथा बोली देने वाले, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसे कम्पनी द्वारा वैसा करने हेतु अधिकृत किया हो तथा कम्पनी को सर्टीफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन (Certificate of Incorporation) की एक प्रति और वह पत्र जिसके द्वारा उस व्यक्ति को पंजीयन फार्म अभिलेखों में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है, पंजीयन फार्म के साथ संलग्न किये जायेंगे जो न करने पर पंजीयन अमान्य किये जाने योग्य होगी । अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब की स्थिति में "कर्ता" जो कुटुम्ब को आबद्ध कर सके, पंजीयन फार्म पर हस्ताक्षर करेगा एवं बोली देने वाले तथा परिवार के समस्त सदस्यों की सूची पंजीयन फार्म के साथ संलग्न की जावेगी ।

(II) किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से पंजीयन फार्म पर हस्ताक्षर करने तथा बोली देने वाला व्यक्ति पंजीयन फार्म के साथ मुख्त्यारनामा या उसके पक्ष में सम्यक् रूप से निष्पादित डीड या भागीदारी विलेख, जिसमें उसे यह शक्ति दी गई हो, जो यह दर्शाये कि यथास्थिति ऐसे अन्य व्यक्तियों को या फर्म को, संविदा संबंधी सभी विषयों में आबद्ध करने का उसे अधिकार है, पंजीयन फार्म के साथ संलग्न करेगा । यदि पंजीयन फार्म पर इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाला तथा बोली देने वाला व्यक्ति उक्त मुख्त्यारनामा या भागीदारी विलेख संलग्न नहीं करता हैं, तो उसकी पंजीयन संक्षिप्त रूप से अस्वीकृति योग्य होगी । मुख्त्यारनामे पर, भागीदारी प्रतिष्ठान होने पर सभी भागीदारों द्वारा, प्रोप्राइटर फर्म होने पर प्रोप्राइटर द्वारा तथा मर्यादित कम्पनी होने पर उस व्यक्ति द्वारा जो अपने हस्ताक्षर से कम्पनी को आबद्ध कर सकता है, हस्ताक्षर किये जायेंगे । हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब होने पर मुख्त्यारनामे पर "कर्ता" जो अपने हस्ताक्षर से कुटुम्ब को आबद्ध कर सकता है, द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे ।

(III) अवयस्क, दिवालिया, बकायादार अथवा कालीसूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत पंजीयन फार्म अवैध मानी जावेंगी । ***यदि कोई कालीसूची में दर्ज व्यक्ति/फर्म किसी अन्य व्यक्ति के साथ दूसरी फर्म बना लेता है तो वह फर्म भी काली सूची में दर्ज मानी जावेगी ।***

(IV) ऐसा बोलीदार जो कि बकायादार है, किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो संघ के प्रबंध संचालक के पक्ष में रायपुर में देय हो, बकाया का भुगतान संघ कार्यालय या सम्बन्धित प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में ई-नीलाम समाप्ति के पूर्व कर सकता है ।

(V) बोलीदार का ई-नीलाम प्रारम्भ होने की तिथि को अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत विनिर्माता/ निर्यातक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है और यदि वह क्रेता नियुक्त किया जाता है तो उसे करार समाप्ति की तिथि तक पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा । पंजीयन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर उस वर्ष जिसमें ई-नीलाम में भाग ले रहा/रही हैं के पंजीयन प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक तथा वन मंडल का उल्लेख करना आवश्यक है एवं पंजीयन फार्म के साथ वन मंडलाधिकारी द्वारा दिये गए पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलगन करना अनिवार्य है ।

5. सत्यंकार की राशि -

(I) प्रत्येक बोली, सत्यंकार की राशि जो अधिसूचित गोंद वर्ग एक (प्रथम श्रेणी)/ /गोंद वर्ग दो धावड़ा गोंद की अधिसूचित मात्रा के आधार पर बोली से गणना किये गये क्रय मूल्य के 10% के बराबर होगी, के साथ शर्त क्रमांक 14(I) में दर्शाये विवरण अनुसार प्रस्तुत की जावेगी । अन्य किसी रूप में सत्यंकार की राशि जमा करने पर बोली अंतिम रूप से अमान्य किये जाने योग्य होगी ।

(II) क्रय क्षमता सत्यंकार की राशि की 10 गुना होगी और इस प्रकार मान्य की गई क्रय क्षमता के आधार पर बोली पर विचार किया जावेगा ।

(III) सफल बोलीदारों की सूची एवं असफल बोलीदारों की सूची संघ की बेवसाइट **www.cgmfpfed.org** पर क्रमशः **परिशिष्ट-VIII** एवं **परिशिष्ट-IX** में उपलब्ध रहेगी । सफल बोलीदार के द्वारा जमा की गई सत्यंकार की राशि प्रथमतः उसके द्वारा देय प्रतिभूति राशि के रूप में शर्त क्रमांक 10(I) के अनुसार समायोजित की जावेगी ।

(IV) ई-नीलाम के समापन के उपरांत, उच्चतम बोलीदारों की सत्यंकार की राशि शासन/संघ द्वारा ई-नीलाम पर निर्णय लिये जाने तक अवरुद्ध रहेगी । शासन/संघ द्वारा उच्चतम बोली को अस्वीकार करने की स्थिति में अवरोधित सत्यंकार की राशि मुक्त कर दी जावेगी तथा बोलीदार ई-नीलाम प्रणाली के माध्यम से वापसी हेतु अनुरोध कर सकते हैं और सत्यंकार की राशि एक कार्य दिवस के भीतर बोलीदार के पंजीकृत खाते में हस्तांतरित कर दी जावेगी । ई-नीलाम के समापन के उपरांत, उच्चतम बोली के अलावा अन्य बोली भरने वाले बोलीदारों की सत्यंकार की राशि स्वतः मुक्त कर दी जावेगी जिसे कि बोलीदार स्वयं ई-नीलाम प्रणाली के माध्यम से वापस ले सकते हैं । अगले चक्र की ई-नीलाम हेतु बोलीदार को सत्यंकार की राशि पुनः जमा करना होगी ।

(V) सत्यंकार की राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

6. शर्तों के साथ बोली भरने की प्रक्रिया -

(I) बोलीदार ई-नीलाम के समापन तक एक या एक से अधिक इकाईयों के लिये एक या एक से अधिक बार बोली प्रस्तुत कर सकेगा ।

(II) किसी भी इकाई हेतु ई-नीलाम प्रणाली में प्राप्त उच्चतम बोली से कम दर की बोली स्वीकार नहीं की जावेगी ।

(III) बोलीदार द्वारा Quote (Rs /UOM) कॉलम में भरी गई बोली के समान बोली प्रस्तावित करने पर ई-नीलाम प्रणाली द्वारा बोली स्वीकार नहीं की जावेगी ।

(IV) बोलीदार जिन इकाईयों हेतु बोली प्रस्तुत करना चाहता है उसी इकाई के समक्ष Quote (Rs /UOM) कॉलम में पृथक-पृथक बोली प्रस्तुत कर सकेगा ।

(V) बोलीदार जिन इकाईयों हेतु बोली प्रस्तुत करना चाहता है उन इकाईयों के लिये प्रस्तुत बोली को सुरक्षित कर रखने का प्रावधान है । बोलीदार ऐसे इकाईयों के समक्ष Quote (Rs /UOM) कॉलम में प्रस्तावित बोली को भरकर **"Save Quotes"** को **Click** करके सुरक्षित रख सकता है तथा ई-नीलाम समापन के पूर्व कभी भी इस बोली को प्रस्तुत कर सकता है ।

(VI) बोलीदार द्वारा उपरोक्तानुसार सुरक्षित की गई बोली को शासन/संघ द्वारा तब तक स्वीकृति के लिये विचार नहीं करेगा जब तक कि बोलीदार ई-नीलाम समापन के पूर्व ऐसी बोली को प्रस्तुत नहीं कर देता ।

(VII) बोलीदार को बोली भरने के लिये दो स्क्रीन उपलब्ध होंगे, जो कि पूर्णतः बोलीदार पर निर्भर करेगा कि वह बोली प्रस्तुत करते समय किस स्क्रीन का उपयोग करेगा । **"Normal Screen"** जिस पर पूरे इकाई प्रदर्शित होंगे तथा **"Manual Screen"** जिस पर वे इकाई प्रदर्शित होंगे जिनमें बोलीदार द्वारा बोली प्रस्तुत की गई है अथवा प्रस्तुत करना चाहता है ।

(VIII) **"Manual Screen"** पर बोलीदार जिन इकाईयों पर बोली प्रस्तुत करना चाहता है उसका Lot No. or Lot Id भरने के पश्चात **"Enter"** को **Click** करने पर इकाई की जानकारी प्रदर्शित हो जावेगी जिसे हेतु बोलीदार बोली प्रस्तुत कर सकेगा ।

(IX) न्यूनतम वृद्धिशील बोली (Minimum Incremental Tick) का आकार रु. 5/- होगी परंतु अधिकतम की कोई सीमा नहीं होगी ।

(X) NCDEX e Markets Ltd. (NeML) के द्वारा ई-नीलाम में प्राप्त उच्चतम बोली को H-1 घोषित की जावेगी । बोलीदारों के किसी भी लाट या समस्त इकाईयों के उच्चतम बोली/बोलियों को स्वीकार/अस्वीकार करने का विवेकाधिकार शासन/संघ रखता है ।

(XI) NCDEX e Markets Ltd. (NeML) के द्वारा बोलीदार को ई-नीलाम में बोली प्रस्तुत करने के लिये Bidder's username and the password आवंटित किया जाता है, उक्त Bidder's username and the password का उपयोग कर यदि बोलीदार बोली प्रस्तुत करता है जो वह बिना शर्त बंधनकारी होगा । बोलीदार बोली प्रस्तुत करने तथा Bidder's username and the password के तहत् होने वाली सभी अन्य गतिविधियों के लिये पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे । बोलीदार को ई-नीलाम से पहले अपने username and the password की जाँच करने एवं किसी अन्य को नहीं बतलाने की सलाह दी जाती है, ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके ।

(XII) वनोपज के ई-नीलाम में किसी लाट के अंतिम समय के 15 मिनट के पूर्व यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो उस लाट की अवधि 30 मिनट के लिए बढ़ जायेगी, तथा पुनः अंतिम समय के 15 मिनट के पूर्व यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो उस लाट की अवधि 30 मिनट के लिए और बढ़ जायेगी और यह व्यवस्था तीन Extention के लिए रहेगी । तीन Extentions के बाद उस लाट हेतु और Extention नहीं होगी ।

7. इंटरनेट कनेक्टिविटी -

किसी भी प्रकार की बिजली, नेटवर्क, होस्टिंग सर्वर, सर्वर बैंडविथ समस्या, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ISP एवं NCDEX e Markets Ltd. के द्वारा ई-नीलाम हेतु तैयार लिंक **https://cgmfpfed.neml.in** के उपयोग तथा अन्य समस्याओं के विफलता के लिये संघ और NCDEX e Markets Ltd. जिम्मेदार नहीं होगा ।

8. बोली को वापिस लिया जाना आदि -

बोली के Final Submission उपरांत कोई भी बोलीदार किसी लाट/लाटों के लिये अपनी बोली वापस नहीं ले सकेगा और वह अपने बोली तथा ई-नीलाम सूचना के निबंधनों तथा शर्तों से तथा इन निबंधनों तथा शर्तों से तब तक बाध्य रहेगा जब तक संघ के द्वारा उसके बोली को स्वीकार

या अस्वीकार करने संबंधी पत्र जारी नहीं कर दिया जाता । इस शर्त का उल्लंघन करने पर संबंधित लाट/लाटों के क्रय मूल्य, जो कि उसके द्वारा प्रस्तावित दर को लाट की अधिसूचित मात्रा से गुणा करने पर परिगणित किया जावेगा, की 10% राशि का उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर लिया जावेगा और उसे 3 वर्ष तक की कालावधि के लिये काली-सूची में दर्ज किया जा सकेगा ।

9. बोलियों को स्वीकार किया जाना -

(I) शासन/संघ बोली पत्रक में अंकित किसी भी इकाई या समस्त इकाईयों के प्रस्ताव/प्रस्तावों को बिना कारण दर्शाये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

(II) विभिन्न बोलीदारों को इकाईयों का आवंटन करने के लिए शासन/संघ विभिन्न इकाईयों या इकाईयों के वर्ग या विभिन्न क्षेत्रों के इकाईयों के लिए भिन्न-भिन्न कट आफ स्तर/अवरोध मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है ।

(III) यदि किसी विशिष्ट इकाई के लिए एक से अधिक बोलीदारों के द्वारा एक ही दर प्रस्तावित की जाती है तो उस इकाई का आवंटन संघ द्वारा लाटरी निकाल कर तय की जावेगी ।

(IV) बोलीदार ऐसे इकाई/इकाईयों जिनके प्रस्ताव संघ द्वारा स्वीकार किये जाते हैं, स्वीकार करने को बाध्य होगा ।

10. प्रतिभूति निक्षेप -

(I) क्रेता करारनामा निष्पादित करने के पूर्व निष्पादित किये जाने वाले क्रेता करारनामा के निबंधनों तथा शर्तों के यथोचित अनुपालन के लिए सफल बोलीदार को उसके पक्ष में संघ के द्वारा स्वीकृत किये गये इकाईयों के कुल क्रय मूल्य की 10% की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करना होगी और इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा शर्त क्रमांक 5 के अनुसार जमा की गई क्रय मूल्य के 10% की सत्यंकार की राशि जिस हद तक वह उपलब्ध है, प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संघ के द्वारा समायोजित कर ली जावेगी ।

(II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधो के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी ।

(III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी ।

(IV) यथा स्थिति प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक, जिला यूनियन की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा/ई-नीलाम सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, अंतिम भुगतान में समायोजित की जा सकेगी ।

11. गोंद का परिवहन / निकासी -

(I) संग्रहण केन्द्र से गोंद का परिवहन / निकासी संग्रहित मात्रा के अनुसार संग्राहकों को भुगतान एवं स्वीकृत बोली के अनुसार शेष राशि तथा पूर्ण करों एवं उपकरों की राशि के भुगतान होने पर ही क्रेता के द्वारा की जा सकेगी ।

(II) देय राशि के पूर्ण भुगतान होने के पश्चात् परिवहन अनुज्ञा पत्र से इकाई की संग्रहित मात्रा की परिवहन / निकासी की अनुमति दी जावेगी ।

12. अधिनियम आदि का उल्लंघन -

ऐसा क्रेता जो अधिनियम, नियमावली और/ अथवा क्रेता करारनामे की किन्ही शर्तों का उल्लंघन करता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 15 के अंर्तगत वह दंडित किया जाता है या उसके करारनामें को समाप्त किया जाता है, को पांच वर्ष की कालावधि तक के लिए काली सूची में वन संरक्षक द्वारा दर्ज किया जा सकेगा ।

13. करारनामें का हस्तांतरण -

क्रेता प्रबंध संचालक, संघ की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना उसके द्वारा निष्पादित अनुबंध को किसी अन्य व्यक्ति/ पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा । ऐसे अनुबंध का हस्तांतरण प्रबंध संचालक, संघ द्वारा इस शर्त पर किया जा सकेगा कि जिस व्यक्ति/ पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान के पक्ष में अनुबंध हस्तांतरित किया जाना है वह रू. 5000/- की राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में तथा इकाई के क्रय मूल्य की 10% राशि किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड/ बैंक ड्राफट जो कि प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के पक्ष में रायपुर में देय होगा, के माध्यम से अग्रिम में अदा करें । हस्तांतरणकर्ता का आवेदन, हस्तांतरण ग्रहिता की सहमति तथा अधिनियम के तहत हस्तांतरण ग्रहिता का विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति एवं उपरोक्तानुसार हस्तांतरण शुल्क रू. 5000/- प्रबंध संचालक, संघ के कार्यालय में आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस के पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए । ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरणकर्ता केता इकाई के संबंध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा, जब तक हस्तांतरण ग्रहिता केता संबंधित प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के कार्यालय में संबंधित इकाई का करारनामा निष्पादित नहीं कर देता है ।

14. क्रेता द्वारा देय राशि की भुगतान की प्रकिया -

(I) बोलीदार द्वारा

बोलीदार को सत्यंकार (E.M.D.) की राशि का भुगतान आनलाइन Payment Gateway Service Provider के माध्यम से ही करना होगा । बोलीदार द्वारा आनलाइन भुगतान निम्न में से किसी प्रकार से किया जा सकता है ।

1. नेट बैंकिग (Net Banking)

बोलीदार नेट बैंकिग सुविधा उपलब्ध बैंक के खाते से NCDEX e Markets Ltd. (NeML) के निम्न तालिका में दर्शित बैंक खातों में सत्यंकार की राशि आनलाइन हस्तांतरण कर सकता है । बोलीदार सत्यंकार की राशि आनलाइन हस्तांतरण करने के उपरांत बैंक द्वारा दी गई आवश्यक जानकारी जैसे लेनदेन संदर्भ संख्या (Transaction Reference Number) आदि को संभाल कर रखें । ई-नीलाम पोर्टल में लॉगिन करने के उपरांत Fund Deposit request page पर लेनदेन संदर्भ संख्या (Transaction

Reference Number) तथा जमा की गई राशि की सही-सही जानकारी भरनी होगी । भरी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर NCDEX e Markets Ltd. बोलीदार द्वारा जमा की गई राशि के अनुरोध को अमान्य कर सकेगा इस स्थिति में बोलीदार को पुनः लेनदेन संदर्भ संख्या (Transaction Reference Number) तथा जमा की गई राशि की सही-सही जानकारी भरनी होगी ।

2. **आर.टी.जी.एस./एन.इ.एफ.टी (RTGS/NEFT)**

बोलीदार बैंक के खाते से NCDEX e Markets Ltd. (NeML) के निम्न तालिका में दर्शित बैंक खातों में सत्यंकार की राशि RTGS/NEFT द्वारा हस्तांतरण कर सकता है । बोलीदार सत्यंकार की राशि हस्तांतरण करने के उपरांत बैंक द्वारा दी गई आवश्यक जानकारी जैसे लेनदेन संदर्भ संख्या (Transaction Reference Number) आदि को संभाल कर रखें । ई-नीलाम पोर्टल में लॉगिन करने के उपरांत Fund Deposit request page पर लेनदेन संदर्भ संख्या (Transaction Reference Number) तथा जमा की गई राशि की सही-सही जानकारी भरनी होगी । भरी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर NCDEX e Markets Ltd. बोलीदार द्वारा जमा की गई राशि के अनुरोध को अमान्य कर सकेगा इस स्थिति में बोलीदार को पुनः लेनदेन संदर्भ संख्या (Transaction Reference Number) तथा जमा की गई राशि की सही-सही जानकारी भरनी होगी ।

NCDEX e Markets Ltd., Mumbai			
Bank Name	**Settlement Account**	**IFSC Code**	**Branch Name**
HDFC Bank	00990690013043	HDFC0000060	Fort, Mumbai
Axis Bank	004010202176811	UTIB0000004	Fort, Mumbai
Bank of India	008620110000781	BKID0000086	Fort, Mumbai
Punjab National Bank	0082002100071810	PUNB0008200	Bandra (West), Mumbai
State Bank of India	30760960198	SBIN0011777	Fort, Mumbai
Central Bank of India	3244662932	CBIN0284082	Capital Market Branch
Kotak Mahindra Bank	0111410712	KKBK0000958	Nariman Point, Mumbai
Canara Bank	2426246025044	CNRB0002426	NSE, Fort, Mumbai
ICICI Bank	000405105961	ICIC0000004	Nariman Point, Mumbai

(II) बोलीदार द्वारा क्रेता नियुक्त होने पर

1. क्रेता छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर को देय समस्त राशि जैसे कि विक्रय मूल्य, वन विकास उपकर, मूल्य संवर्धित कर, आय कर, ब्याज एवं गोदाम किराया आदि का भुगतान किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के नाम होगा तथा परिशिष्ट V में जिला यूनियन के समक्ष दर्शाये स्थान के किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय होगा, के रूप में जिला यूनियन कार्यालय में अथवा रायपुर स्थित निम्न बैंकों में उनके समक्ष दर्शाये

RTGS कोड/ बैंक खाता क्रमांक में RTGS के माध्यम से हस्तानांतरण द्वारा कर सकता है ।

बैंक एवं शाखा का नाम	RTGS कोड/ बैंक खाता क्रमांक
1. पंजाब नेशनल बैंक, रायपुर (मुख्य शाखा)	PUNB0039900/0399000100191933
2. भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर (व्ही.आई.पी. इस्टेट शाखा)	SBIN0013004/32084656047
3. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, रायपुर (सिविल लाइन्स शाखा)	ICIC0000161/016105006260

बैंक के द्वारा संचालित RTGS व्यवस्था में किसी प्रकार के व्यवधान के कारण संघ के खाते में राशि प्राप्त न होने अथवा विलम्ब से प्राप्त होने का पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का होगा । आर.टी.जी.एस. व्यवस्था से भुगतान की तिथि वही मानी जावेगी, जिस तिथि को संघ के बैंक खाते में राशि प्राप्त होगी ।

क्रेता द्वारा भुगतान करने के उपरांत मनी रसीद जारी करने हेतु **परिशिष्ट-VI** में आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित को प्रस्तुत करना होगा तत्पश्चात् ही छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा मनी रसीद जारी की जावेगी ।

2. उपरोक्त के अलावा एक नई भुगतान व्यवस्था जो एच्छिक है लागू की गई है । इस प्रक्रिया के अनुसार लघु वनोपज संघ के वेबसाइट **www.cgmfpfed.org** के मुख पृष्ठ (Home Page) में एक Link **Online Payment Module** उपलब्ध होगा । क्रेता द्वारा उक्त Link को Click करने पर एक इनपुट फार्म खुल जावेगा, उक्त फार्म में राशि जमा करने वाले इच्छुक क्रेता द्वारा क्रमशः क्रेता का नाम, पी.टी.एन., ई-मेल, मोबाईल क्रमांक, जिला यूनियन का नाम, वनोपज का नाम, संग्रहण वर्ष, लाट क्रमांक, विक्रय मूल्य, वन विकास उपकर, मूल्य संवर्धन कर (VAT), आय कर, ब्याज, गोदाम किराया एवं पुर्नजीवन शुल्क की प्रविष्टि करनी होगी । क्रेता द्वारा समस्त प्रविष्टि Caps Lock on करके ही की जानी चाहिये । क्रेता द्वारा प्रत्येक लाट हेतु पृथक से प्रविष्टि करनी चाहिये अर्थात् एक या एक से अधिक लाटों की प्रविष्टियों को जोड़कर एक प्रविष्टि नहीं करनी चाहिये । उक्त फार्म में पूरी जानकारी भरने के उपरांत Submit Button को क्लिक करना होगा । Submit Button को क्लिक करने के बाद एक चालान प्रदर्शित होगा, क्रेता उक्त चालान का प्रिन्ट लेकर चालान में अंकित जानकारियों को बैंक द्वारा RTGS हेतु निर्धारित फार्म में भरकर चालान में अंकित राशि को RTGS करना होगा ।

क्रेता द्वारा RTGS करने एवं राशि संघ के खाते में जमा होने की पुष्टि पश्चात् ऑनलाईन मनी रसीद संबंधित जिला यूनियनों को उनके ई-मेल पर, क्रेता के ई-मेल पर तथा संघ मुख्यालय के ई-मेल पर स्वतः प्राप्त हो जावेगी ।

Annexure - II

Bidding Form
(Sample)

Lot No.	Distraict Union	Unit No. & Name	Quantity	UOM	Quote(Rs/ UOM)	Last Bid	Best bid	Message

Annexure – III

BIDDER'S AGRREMENT
(condition 4(ii) of e-Auction Notice)

This agreement is made between Managing Director, Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation Limited (hereinafter called 'Federation', which expression shall, where the context so admits, include its successors/representatives and assignees in office) of the first part and I/We (hereinafter called the Bidder which expression shall include his heirs, successors, representatives and assignees) of the second part.

Whereas, trading in tendu leaves is regulated by the provisions of Chhattisgarh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964 and the rules made thereunder and trading in Gums (Catagory I & II) is regulated by the provisions of Chhattisgarh Vanopaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 and the rules made thereunder.

And whereas, the Government has authorized the Federation to sell in the Tendu leaves, Salseed, Harra, Gums and other MFPs to be collected in different societies (lots) in Chhattisgarh.

And whereas, the Federation desires to dispose of the Tendu leaves, Salseed, Harra, Gums and other MFPs collected, bagged and stored in godowns during collection season and has issued notice inviting offers for the vide e-Auction notice and also desires that the prospective Bidders should execute an agreement before participating in the e-Auction to abide by the conditions of the e-Auction Notice.

Now the bidder hereby agrees as follows :-

1. I/We hereby declare that I/We have read and understood all the provisions of the Chhattisgarh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964 and the rules made thereunder / Chhattisgarh Vanopaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 and the rules made thereunder, the conditions of the e-Auction notice referred to above, Terms and conditions of e-Auction etc. contained in **Annexure - I** of the e-Auction notice and conditions of the Purchaser's Agreement appended to the e-Auction notice and agree to abide by the same.
2. I/We hereby declare that I/We shall not withdraw my/our offer after e-Auction. I/We further declare that I/We shall be bound by my/our offer and by the terms and conditions of the e-Auction notice till orders of competent authority, accepting/rejecting my/our offer, are passed or another person or party is appointed as purchaser of the lot(s) for which I/We have submitted the offer.
3. In the event of my/our failure to abide by the conditions of this agreement. I/We shall be liable to pay such penalty, as may be leviable under the terms and conditions of the offer notice.
4. This agreement shall be deemed and always be deemed to be subject to the provisions of Chhattisgarh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964 the rules made thereunder / Chhattisgarh Vanopaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 and the rules made thereunder and the orders and notifications issued from time to time under the said Adhiniyam and the rules and of the terms and conditions of E-Auction Notice all of which shall form part of and shall be deemed to have become part of this agreement and shall be construed to have been specially provided for in this agreement.

5. I/We hereby declare that neither any dues of Forest Department/Federation are outstanding against me/us in Chhattisgarh nor have I/We been blacklisted by the Government/ Federation.

In witness whereof the bidder has put his/her signature on the day and year written first above.

Note : - Since this document is being submitted as a part of digitally signed e-Auction process, so the physical signatures of the bidder and Managing Director, Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-op. Federation Limited are not available on this document.

परिशिष्ट- IV

(निविदा/ई-नीलाम अधिसूचना क्रमांक संघ/गोंद/2015-16/4 दिनांक 28.09.2015 का परिशिष्ट)

क्रेता का करारनामा

(निविदा/ई-नीलाम सूचना की शर्त कमांक -7)

यह करार आज दिनांक ……………….माह……………….सन्……………….को प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो विलेख के प्रयोजन के लिए प्रबंध संचालक, जिला यूनियन, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित…………………. जिला यूनियन (जो इसके पश्चात् प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के नाम से निर्दिष्ट है) के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उसके कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री……………………… ………………………….आत्मज ……………………………………….निवासी……………….. …………ग्राम…………..और जो (1) श्री……………………………………………………… (2) श्री ………………………………………………(3) श्री ……………………………… ……………………. के साथ ……………………….स्थित कम्पनी, जिसका नाम ……………… ……………है तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7-1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय …………………..में स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् क्रेता के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया गया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो)

चूँकि छत्तीसगढ़ राज्य में गोंद वर्ग एक/गोंद वर्ग दो का व्यापार, छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) नियम, 1969, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और उसके अधीन बनाये गए नियमों तथा उनके कानूनी उपान्तरणों, जहां तक वे ऐसे व्यापार को लागू है, द्वारा विनियमित होता है, और चूँकि राज्य शासन ने संग्रहण वर्ष 2015-16 के गोंद के संग्रहण व निर्वर्तन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित को अभिकर्ता नियुक्त किया है और संघ ने 2015-16 में प्रदेश में एकत्रित किये जाने वाले गोंद वर्ग एक/गोंद वर्ग दो के विक्रय के लिए अपनी ई-नीलाम अधिसूचना क्रमांक संघ/गोंद/ ………………….. दिनांक ……………. के द्वारा आनलाईन ई-नीलाम आयोजित की थी, और क्रेता इकाई कमांक ……….. (अंकों में) …………………………………….(शब्दों में) इकाई का नाम ……………………. एवं अधिसूचित मात्रा …………….(अंकों में)……………………………… ………. (शब्दों में) और जिसको कथित निविदा/ई-नीलाम अधिसूचना क्रमांक संघ/गोंद/ ……………… ….. दिनांक ……………. की अनुसूची में और पूर्णतया वर्णित किया गया है, के गोंद वर्ग एक/गोंद वर्ग दो के क्रय के लिए की गई प्रस्तावित दर इसमें इसके पश्चात् दर्शाये गये निबंधनों एवं शर्तों पर स्वीकार की गई हैं और उसे इस कथित गोंद का दिनांक 30.08.2016 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए क्रेता नियुक्त करने के लिए वह सहमत हो गया है,

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :-

1. क्रेता करारनामा की अवधि-

यह करार दिनांक………………… से प्रारम्भ होगा और दिनांक 30.08.2016 तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार पूर्व में ही इसे समाप्त न कर दिया जाए ।

2. करारनामे के भाग -

इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 के, और उसके अधीन बनाये गये नियमों के, और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किए गए आदेशों तथा अधिसूचना के साथ ही इस ई-नीलाम सूचना के निबंधनों तथा शर्तों के तथा इस ई-नीलाम सूचना के **परिशिष्ट - I** में उल्लेखित सामान्य/अन्य निबंधनों एवं शर्तों तथा बोलीदारों के लिए निर्देशों के जो सब इस करार के भाग होंगे, और इसके भाग बन गये समझे जावेंगे, और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है, उपबंधों के अध्यधीन है ।

3. क्रय दर आदि -

क्रेता इस इकाई में संग्रहित/क्रय होने वाली गोंद वर्ग एक (प्रथम श्रेणी)/गोंद वर्ग दो धावड़ा गोंद की मात्रा को जो कि अधिसूचित मात्रा से अधिक हो सकती है को रु.................... (अंकों में)................ .... (शब्दों में) प्रति क्विंटल की दर पर क्रय करेगा । इकाई के क्रय मूल्य के अतिरिक्त क्रेता समय-समय पर प्रवृत्त वन विकास उपकर, मूल्य संवर्धित कर एवं सरचार्ज तथा अन्य कर/उपकर भी अदा करेगा । 5.55 किलो गोंद वर्ग एक (तृतीय श्रेणी) एवं चार किलो गोंद वर्ग एक (द्वितीय श्रेणी), तीन किलो गोंद वर्ग एक (प्रथम श्रेणी) के समतुल्य तथा तीन किलो धावड़ा गोंद पाँच किलो खैर/बबूल के समतुल्य माना जावेगा ।

4. संग्रहण/क्रय एवं संग्रहण/क्रय व्यय के भुगतान एवं परिदान की प्रकिया -

(I)(अ) जिला यूनियन .... की गोंद वर्ग एक/गोंद वर्ग दो इकाई .... जिसे अनुसूची में अधिक पूर्णता से वर्णित किया गया है, में उत्पादित शासकीय वन तथा भूमियों तथा निजी भूमियों में से उत्पन्न गोंद का संग्रहण क्रेता करेगा । क्रेता प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा निर्धारित संग्रहण केन्द्रों पर गोंद का संग्रहण प्रबन्ध संचालक, जिला यूनियन के निर्देशों तथा प्राथमिक वन उपज समिति के पर्यवेक्षण में करेगा ।

इकाई क्षेत्र के बाहर का गोंद क्रेता संग्रहण नहीं करेगा । गोंद वर्ग एक का क्रेता गोंद वर्ग दो का तथा गोंद वर्ग दो का क्रेता गोंद वर्ग एक का का संग्रहण नहीं करेगा । क्रेता इसी इकाई क्षेत्र के निजी उत्पादकों से गोंद की संपूर्ण मात्रा जिसकी पेशकश 'की गई हो' को शासन द्वारा निर्धारित दर पर क्रय करेगा ।

(ब) क्रेता केवल उपरोक्त 4(I)(अ) में निर्धारित संग्रहण केन्द्रों पर ही गोंद संग्रहण/क्रय करेगा । अनाधिकृत संग्रहण केन्द्र पर संग्रहित किये जाने वाला गोंद इस अधिनियम एवं इस करारनामे के तहत् की जाने वाली अन्य किसी कार्यवाही पर विपरीत प्रभाव डाले बिना राजसात किया जावेगा ।

(स) किसी भी इकाई क्षेत्र में आरक्षित/संरक्षित वन सीमा के अन्तर्गत, वनग्राम को छोड़कर, अन्य स्थानों में संग्रहण केन्द्र खोलने की अनुमति प्रबन्ध संचालक, जिला यूनियन द्वारा नहीं दी जा सकेगी, स्वीकृति संग्रहण केन्द्र किसी भी दशा में ग्राम की बसाहट से आधा किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थापित नहीं किये जा सकेंगे । आरक्षित/संरक्षित वन सीमा के अन्तर्गत उपरोक्त स्थलों को छोड़कर, अन्य स्थानों पर विशेष परिस्थितियों में यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित प्रबन्ध संचालक, जिला यूनियन द्वारा संग्रहण केन्द्र खोलने की अनुमति दी जा सकेगी ।

(द) संग्रहण काल 2015-16 में क्रेता नियुक्ति आदेश जारी होने के पूर्व यदि कोई गोंद संघ/वन विभाग द्वारा इकाई में संग्रहित/क्रय किया गया है, तो प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर समस्त देय राशि का करों सहित भुगतान कर क्रेता को परिदान प्राप्त करना होगा ।

(II)(अ) क्रेता गोंद वर्ग एक (प्रथम श्रेणी)/गोंद वर्ग दो धावड़ा गोंद शासकीय वनों तथा भूमियों से शासन द्वारा निर्धारित..........प्रति क्विंटल की दर से संग्राहक को भुगतान कर संग्रहण करेगा एवं संग्रहणकाल के दौरान निजी उत्पादकों से गोंद के लिए शासन द्वारा निर्धारित .... प्रति क्विंटल की दर से क्रय करेगा ।

(ब) क्रेता को प्रबंध संचालक जिला यूनियन के द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के समक्ष संग्रहण पारिश्रमिक का क्रय तिथि के दिन ही भुगतान करना होगा तथा प्रतिभूति निक्षेप राशि की मुक्ति से पूर्व इकाई की समस्त प्राथमिक समितियों से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि गोंद संग्रहण कार्य से संबंधित किसी कार्य का भुगतान लंबित नहीं है ।

(III) उपरोक्त (I) तथा (II) में वर्णित प्रयोजन के लिए क्रेता को प्रत्येक संग्रहण केन्द्र में एक प्रतिनिधि (फड़ मुंशी) रखना होगा, इकाई में गोंद का संग्रहण प्रारंभ होने के पूर्व हस्ताक्षरों के नमूने सहित प्रतिनिधियों के नाम प्रबंध संचालक जिला यूनियन एवं इकाई की समस्त प्राथमिक वनोपज समितियों को प्रेषित किये जावेंगे ।

(IV) क्रेता निजी उत्पादकों तथा संग्राहकों को क्रमशः रु................. तथा रु .... प्रति क्विंटल की दर से संग्रहण केन्द्र पर लाये जाने वाले गोंद की किसी भी मात्रा को क्रय करने हेतु बाध्य होगा तथा यदि वह भुगतान कर गोंद क्रय करने में असफल रहता है, तब क्रेता करारनामे में उल्लंघन के लिये की जाने वाली कार्यवाही के अतिरिक्त प्रबंध संचालक ऐसे गोंद को संग्रहण/क्रय करा कर, गोंद की समस्त या आंशिक मात्रा का अपने स्वविवेक से :-

(अ) क्रेता को परिदान अस्वीकृत कर सकेगा ।

अथवा

(ब) किसी भी अन्य व्यक्ति को परिदान कर सकेगा ।

अथवा

(स) क्रेता को ही संग्रहण तिथि के 15 दिवस के उपरांत से निगरानी बतौर रूपये 1.00 प्रति क्विंटल प्रति दिन अतिरिक्त धनराशि की वसूली करने के पश्चात् परिदान कर सकेगा ।

अथवा

(द) ऐसे गोंद का विक्रय निर्वर्तन से कर / करा सकता है तथा हानि की राशि क्रेता से वसूल कर सकता है ।

(V) यदि यथास्थित संघ, प्राथमिक समिति या वन विभाग ऐसे गोंद की जो कि क्रेता को बाद में परिदत्त किये जायें, की सुखाई, बोरों में भराई, परिवहन एवं गोदामीकरण का कार्य करते हैं, तो प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा निर्धारित सुखाई, बोरों की कीमत सहित भराई, परिवहन एवं गोदामीकरण आदि का खर्च का क्रेता भुगतान करेगा तथा उनका निर्णय इस संबंध में अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

(VI) क्रेता संग्रहण केन्द्र पर लाये गये किसी भी संग्राहक/निजी उत्पादक के गोंद को क्रय करने से अस्वीकार नहीं करेगा जब तक कि गोंद की गुणवत्ता क्रय करने के अयोग्य नहीं है । क्रेता के द्वारा अस्वीकार किये गये गोंद या श्रेणी के संबंध में विवादित गोंद पृथक से फड़ पर उप वनमंडल अधिकारी/वनमंडल अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किये जावेंगे जिसका कि निर्णय अन्तिम एवं क्रेता पर बन्धनकारी होगा एवं तदनुसार क्रेता को संग्राहक/निजी उत्पादक को भुगतान करना होगा ।

(VII) क्रेता अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा का संग्रहण, संग्राहक को संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान कर के क्रय करने के लिये बाध्य होगा ।

(VIII) क्रेता गोंद का क्रय के उपरांत उसका समस्त उपचार, बोरों में भराई, हम्माली, परिवहन एवं गोदामीकरण का कार्य स्वयं करेगा एवं इन कार्यों पर आने वाला व्यय क्रेता ही वहन करेगा ।

(IX) इकाईयों के सीमा विवाद के संबंध में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन का निर्णय अंतिम एवं क्रेता पर बंधनकारी होगा ।

5. देय राशि के भुगतान तथा गोंद का निकासी / परिवहन की रीति -

(अ) क्रेता, संग्रहित गोंद के क्रय मूल्य की रकम देय करों के सहित - संग्रहित गोंद की मात्रा का संग्रहण व्यय, किसी भी अनुसूचित बैंक के क्रास बैंक ड्राफ्ट अथवा डिमांड ड्राफ्ट से संग्रहण तिथि से 15 दिवस में अदा करेगा । इस भुगतान के उपरांत ही इस करारनामे की अन्य शर्तों के अध्ययीन रहते हुए क्रेता को संग्रहण केन्द्र से गोंद की निकासी करने की अनुमति दी जा सकेगी ।

(ब) क्रेता इस करारनामे के तहत समस्त भुगतान **परिशिष्ट** - **I** की शर्त क्रमांक 14 के अनुसार करेगा ।

6. गोंद की निकासी एवं क्रेता के द्वारा शेष देय राशि का भुगतान -

(क) क्रेता, क्रेता करारनामा की कंडिका 5(अ) के अनुसार देय राशि का भुगतान कर संग्रहण केन्द्र से गोंद जहां ले जाना चाहे, उसके लिए अधिनियम, नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर ले जा सकता है । इस समस्त अवशेष देय राशि में संघ को इस करारनामे के अंतर्गत देय शेष क्रय मूल्य एवं देय समस्त कर सम्मिलित होंगे । इस प्रकार परिवहन की अनुमति केवल उस स्थिति में दी जावेगी जब उसने संग्रहित इस गोंद के संग्रहण व्यय का भुगतान संग्राहकों को कर दिया हो ।

(ख) देय तिथियों पर किसी देय राशि का भुगतान न करने पर 0.04 प्रतिशत प्रति दिन की दर से विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूल किया जावेगा । यदि किसी देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो ब्याज की गणना के लिये देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी ।

7. करों का भुगतान -

(I) इस करार के अधीन संघ को देय कोई भी राशि तब तक दी गई नहीं मानी जायेगी, जब तक उस पर देय समस्त कर का भी भुगतान न कर दिया जाए ।

(II) क्रेता छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार मूल्य संवर्धित कर तथा वन विकास उपकर एवं अन्य करों/ उपकरों का भुगतान बैंक/डिमांड ड्राफट द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के पक्ष में जिला यूनियन के मुख्यालय पर करेगा ।

(III) क्रेता, जब तक उसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छूट नहीं दे दी गई हो, आयकर अधिनियम 1961 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार आयकर का भुगतान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में, उनके मुख्यालय पर देय, किसी भी अनुसूचित बैंक के पृथक बैंक ड्राफट/डिमांड ड्राफट के रूप में करेगा। यथा स्थिति संघ को देय गोंद के क्रय मूल्य या उसके भाग का तब तक भुगतान नहीं माना जाएगा, जब तक कि उस पर देय आयकर का भी पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया गया हो ।

8. विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना -

संघ या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या वन मंडलाधिकारी क्रेता को गोंद के परिदान के पश्चात् छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) नियम, 1969 के अंतर्गत प्रावधानित प्रारूप "ज" में उसका विक्रय प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा ।

9. करारनामे का अनुपालन -

यदि पूर्वोक्त एवं ई-नीलाम सूचना में विनिर्दिष्ट परिवहन/निकासी तथा क्रय की शर्तों का पूर्णतः पालन/परिपालन नहीं किया जाता है, तो गोंद को क्रय किया गया नहीं समझा जावेगा ।

10. प्रतिभूति निक्षेप -

(I) क्रेता अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के द्वारा या अधीन जहां तक कि वे इस करार के संदर्भ में लागू होते हों, उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त कार्यों तथा कर्तव्यों को करने तथा निषिद्ध किये गये किसी कार्य के स्वयं द्वारा उसके सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा किये जाने से विरक्त रहने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है और अपने द्वारा तथा अपने सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के सम्यक् पालन तथा अनुपालन किए जाने के लिए प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में उसके द्वारा ई-नीलाम सूचना के प्रावधानों के अनुसार रूपये................................ की राशि प्रतिभूति के रूप में नियमानुसार निक्षेपित की गई है ।

(II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधों के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी ।

(III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी ।

(IV) प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक जिला यूनियन की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामे के समस्त निबंधनों एवं शर्तो, अधिनियम, नियमावली तथा ई-नीलाम सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् वापस की जावेगी ।

11. अधिनियम का उल्लंघन आदि-

क्रेता यह करार करता है कि वह उसके अथवा उसके द्वारा नियोजित किए गए व्यक्तियों के द्वारा अधिनियम, नियमावली और इस करारनामे के प्रावधानों के किए गए प्रत्येक उल्लंघन के लिए संघ/शासन को रूपया 500/- (पॉच सौ) तक की राशि की देनगी करेगा ।

12. शास्तियां-

यदि क्रेता करार की किसी भी शर्त को भंग करें और यदि ऐसे भंग के कारण करार को समाप्त करना प्रस्तावित न हो तो जिला यूनियन के प्रबंध संचालक प्रत्येक भंग के लिए ऐसी शास्ति जो रूपये 500/- (पांच सौ) से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा ।

13. क्रेता के करारनामे की समाप्ति-

(I) यदि क्रेता विक्रय मूल्य की देय राशि (कर/उपकर सहित) देय तिथि के 15 दिन के अन्दर या अन्य कोई देय राशि 15 दिन के अन्दर अदा नहीं करता है या इस प्रलेख के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का अनुवर्तन करने में चूक करता है, तो ऐसे किन्हीं भी अधिकार तथा उपचारों पर जो

प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को प्राप्त हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रबंध संचालक, जिला यूनियन अपने विवेक पर इस करार को क्रेता को 15 दिन का नोटिस देकर एवं उसे सुनवाई का अवसर देकर समाप्त कर सकेगा और क्रेता का नाम पाँच वर्ष तक की कालावधि के लिये काली सूची में मुख्य वन संरक्षक दर्ज कर सकेगा ।

(II) करार की समाप्ति का आदेश क्रेता को व्यक्तिशः परिदत्त किया जावेगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जावेगा । करार की समाप्ति करार के समाप्त करने के आदेश के दिनांक से प्रभावी होगी ।

(III) करार की समाप्ति पर संघ, निम्नलिखित के लिए हकदार होगा :-

(अ) संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप की राशि को अधिहरित करने ।

(ब) इकाई के संग्रहण केन्द्रों में रखे गोंद के स्कंध, जिसकी समस्त देय राशि का भुगतान कर दिया गया है परन्तु संग्रहण केन्द्र से निकासी नहीं की हो, को संघ के पक्ष में अधिहरित करने ।

(स) (एक) इकाई के संग्रहण केन्द्रों में रखे गोंद का, जिसके लिये संग्रहण दर के अतिरिक्त देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा संग्रहण केन्द्रों में रखे गोंद के उस स्कंध का जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 13(III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है का विक्रय करने और हानि की वसूली करने ।

ऐसी हानि क्रेता इकाई के संग्रहण केन्द्रों में रखे गोंद, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा संग्रहण केन्द्रों में रखे गोंद, जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 13(III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है, के विक्रय से भी वसूली योग्य होगी । यदि गोंद का पुनः विक्रय करारनामा समाप्ति के आदेश के उपरांत प्रथम निविदा/ई-नीलाम में नहीं हो पाता है तो गोंद का विक्रय मूल्य शून्य मानकर क्रेता से हानि वसूली की कार्यवाही की जावेगी । यदि पश्चातवर्ती निविदा/ई-नीलाम में गोंद का पुनर्विक्रय हो जाता है तो प्राप्त क्रय मूल्य का समायोजन हानि की राशि में किया जावेगा । यदि हानि की वसूली हो चुकी हो तो ऐसी दशा में प्राप्त क्रय मूल्य क्रेता को भुगतान कर दिया जावेगा परन्तु ऐसी राशि पर क्रेता को कोई ब्याज देय नहीं होगा । करारनामा समाप्त होने की दशा में प्रथम क्रेता से हानि की वसूली हेतु गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

संबंधित निविदा/ई-नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा/ई-नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां।

(दो) इसके पश्चात् भी कोई हानि की वसूली शेष हो तो, ऐसी शेष हानि की राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने,

(तीन) यदि ऐसे पुनः विक्रय पर इकाई के लिये देय राशि से अधिक राशि प्राप्त होती है तो, संघ पूर्ण राशि प्रतिधारित करने का हकदार होगा और क्रेता का उस पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा ।

(द) हानि की वसूली के लिये किये गये समस्त खर्चे एवं व्यय वसूल करने,

(ई) अधिरोपित की गई समस्त शास्तियां तथा निर्धारित क्षतिपूर्ति, जिसका भुगतान नहीं हुआ हो वसूल करने,

(IV) यदि करारनामा समाप्ति के उपरांत एवं गोंद की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व बकायादार क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, ब्याज, समस्त देयकर एवं उपकर, निगरानी शुल्क, अधिरोपित शास्तियां तथा रूपये 5,000/- प्रति इकाई की दर से पुर्नजीवन शुल्क आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में कर दिया

जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से उक्त करार को पुर्नजीवित कर सकेंगे और करार अवधि को आवश्यक होने पर बढ़ा सकेंगे तथा उपरोक्तानुसार समस्त देय राशि एवं पुर्नजीवन शुल्क के पूर्ण भुगतान के उपरांत ही गोंद के स्टाक को निकासी/परिवहन की अनुमति दी जावेगी ।

(V) जब भी करार को पुनजीर्वित किया जाता है तो समाप्ति के कारण अधिहरित प्रतिभूति निक्षेप स्वतः प्रत्यावर्तित हो जावेगी ।

(VI) तथापि यदि क्रेता का करारनामा समाप्त नहीं किया गया है एवं करार अवधि समाप्त हो चुकी है तो हर्रे की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, ब्याज, समस्त देयकर एवं उपकर, निगरानी शुल्क, अधिरोपित शास्तियां तथा रूपये 5,000/- प्रति इकाई की दर से अवधि वृद्धि शुल्क आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक स्वविवेक से गोंद हटाने की अनुमति क्रेता द्वारा लिखित में आवेदन पत्र देने पर दे सकेंगे ।

14. लेखाओं का रख रखाव -

क्रेता ऐसे प्रपत्रों में ऐसे लेखा एवं ऐसे अभिलेख रखेगा, तथा ऐसी पाक्षिक विवरणियां ऐसी तिथियों को या उनके पूर्व प्रस्तुत करेगा जैसा जिला यूनियन के प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाए । संग्रहण केन्द्र पर रखे जाने वाले अभिलेख निरीक्षण हेतु किसी भी वन अधिकारी एवं प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत किये जावेंगे ।

15. क्रेता के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन -

क्रेता ऐसे समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों, जो उसके द्वारा किये गये जाने के लिए अपेक्षित है, का निर्वहन करेगा और अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन निषिद्ध ऐसे कार्य जहां तक ये इस करार के संदर्भ में असंगत न हो, स्वयं के या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा किये जाने से प्रविरत रहेगा ।

16. गोंद का परिवहन और अनुज्ञापत्र जारी करना -

क्रेता गोंद का परिवहन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन अनुज्ञा पत्र के बिना जैसा कि अधिनियम और नियमावली में अनुध्यात है, नहीं करेगा ।

17. स्टाम्प शुल्क का भुगतान -

छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का सभी समयों पर क्रेता पालन करेगा ।

18. प्रथम प्रभार -

(एक) यथास्थिति क्रय मूल्य या उनकी अतिशेष ऐसी समस्त रकम, जो निविदा/ई-नीलाम सूचना के निबंधनों तथा शर्तों तथा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों, अधिनियम और नियमों के अधीन देय है, क्रेता द्वारा परिवहन कर लिए गये हर्रे पर प्रथम प्रभार होगी ।

(दो) क्रेता गोंद का निर्यात या किसी अन्य प्रकार से उनका व्ययन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि यह प्रभार पूर्णतः उन्मोचित न कर दिया जाये ।

19. न्यायालय की अधिकारिता -

(एक) इस करार के अधीन उद्‌भूत होने वाला कोई विवाद, छत्तीसगढ़ न्यायालयों की अधिकारिता अध्याधीन होगा ।

(दो) यदि कोई क्रेता शासन/संघ के विरूद्ध न्यायालय में जाता है तथा निर्णय शासन/संघ के पक्ष में होता है तो क्रेता न्यायालयीन कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये उत्तरदायी होगा, इसकी वसूली क्रेता से ब्याज सहित की जावेगी ।

जिसके साक्ष्य में, इसमें उपर लिखित दिनांक तथा सन् को प्रबंध संचालक, जिला यूनियन ने यहां अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है और उपर नामित क्रेता (क्रेताओं) ने अपने/उनके अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं ।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा हस्ताक्षर किये गये, सील लगाई गई और परिदत्त किया गया ।

साक्षीगणः-

1. ....

(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

संघ की ओर से प्रबंध संचालक, जिला यूनियन
.... जिला यूनियन

2. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में उपर नामित क्रेता द्वारा हस्ताक्षर किये गयेः-

साक्षीगणः-

1. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

क्रेता / क्रेताओं के हस्ताक्षर

नाम-....................................
डाक का पता-..........................

2. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

परिशिष्ट - V

अधिसूचना क्रमांक संघ/गोंद/2015-16/4 दिनांक 28.09.2015

जिला यूनियनवार बैंक ड्राफ्ट भुगतान हेतु देय स्थान

[परिशिष्ट-I की शर्त क्रमांक 14(II)]

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	जहाँ बैंकड्राफ्ट भुगतान हेतु देय होगा
1	2	3
1	बीजापुर	बीजापुर
2	सुकमा	सुकमा
3	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा
4	जगदलपुर	जगदलपुर
5	दक्षिण कोण्डागांव	कोण्डागांव
6	केशकाल	कोण्डागांव
7	नारायणपुर	नारायणपुर
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर
9	पश्चिम भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर
10	कांकेर	कांकेर
11	राजनांदगांव	राजनांदगांव
12	खैरागढ़	खैरागढ़
13	बालोद	दुर्ग
14	कवर्धा	कवर्धा
15	धमतरी	धमतरी
16	गरियाबंद	गरियाबंद
17	महासमुन्द	महासमुन्द
18	बलौदा बाजार	बलौदा बाजार
19	बिलासपुर	बिलासपुर
20	मरवाही	पेण्ड्रारोड़
21	जांजगीर-चांपा	चांपा
22	रायगढ़	रायगढ़
23	धर्मजयगढ़	धर्मजयगढ़
24	कोरबा	कोरबा
25	कटघोरा	कटघोरा
26	जशपुर नगर	जशपुर नगर
27	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़
28	कोरिया	बैकुण्ठपुर
29	सरगुजा	अम्बिकापुर
30	बलरामपुर	बलरामपुर
31	सूरजपुर	सूरजपुर

परिशिष्ट - VI

(अधिसूचना क्रमांक संघ/गोंद/2015-16/4 दिनांक 28.09.2015 का परिशिष्ट)

वनोपज संघ द्वारा मनीरसीद जारी करने हेतु आवेदन पत्र

(जो लागू हो उसे भरे धनादेश अथवा डी.डी. / आर.टी.जी.एस. अथवा एन.ई.एफ.टी./ नेट बैंकिंग)

प्रति,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

विषयः- मनीरसीद जारी करने बाबत् ।

महोदय,

मैं/हम मनीरसीद जारी करने हेतु निम्नानुसार विवरण उपलब्ध कर रहे हैं/हूँ :-

1. क्रेता का नाम - ....
2. आयकर का पी.ए.एन. - ....
3. ई-मेल - ....
4. मोबाइल नंबर - ....
5. वनोपज का नाम - तेन्दूपत्ता/ सालबीज/ हर्रा/ गोंद/ इमली/चिरौंजी गुठली/ महुआ बीज/ लाख
6. संग्रहण वर्ष - ....
7. समायोजन का विवरण -

क्र.	जिला यूनियन का नाम	वर्ष	लाट क्रमांक	राशि
1	2	3	4	5

8. डी.डी. का विवरण (संलग्न)

क्र.	डी.डी. क्रमांक	तिथि	बैंक	राशि
1	2	3	4	5

अथवा

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी का विवरण (बैंक पावती संलग्न)

जमाकर्ता क्रेता का बैंक विवरण		धनादेश जो आर.टी.जी. एस./ एन.ई.एफ.टी. हेतु उपयोग किया गया	यू.टी. आर. क्रमांक	राशि	दिनांक	संघ खाता का नाम एवं खाता क्रमांक जहाँ राशि जमा की गई
बैंक खाता क्रमांक	बैंक खातेदार का नाम					
1	2	3	4	5	6	7

अतः कृपया उपरोक्तानुसार मनीरसीद जारी कर संबंधित जिला यूनियन को भेजने का कष्ट करें एवं साथ ही हमें भी सूचित करें ।

दिनांकः- ....
संलग्नः-

(हस्ताक्षर)
नाम एवं पता

Annexure – VII

(Annexure to e-Auction Notification No./Sangh/Gum/2015-16/4 dated 28.09.2015)

GUMS e-AUCTION 2015-16 SEASON
(C.G.LAGHU VAUPAJ SANGH)

BIDDER WISE ALLOTMENT LIST

(Condition 7 of e-Auction Notice)

e-Auction Closing Date : …………………….

Bidder's Name	Bidder's E.M.D. (In Rs.)	Unit No.	Unit No. and Name	Quantity (In Quintals)	Sanctioned Rate per Quintal (In Rs.)	Total Value of Lot (In Rs.)

Annexure – VIII

(Annexure to e-Auction Notification No./Sangh/Gum/2015-16/4 dated 28.09.2015)

GUMS e-AUCTION 2015-16 SEASON
(C.G.LAGHU VAUPAJ SANGH)

LIST OF SUCCESSFUL BIDDERS

(Condition 7 of e-Auction Notice)

e-Auction Closing Date : …………………….

S.No.	Bidder's Name	Deposited E.M.D. (In Rs.)	Adjusted E.M.D. in Sanctioned Lots (In Rs.)	Unadjusted E.M.D. to be Refunded (In Rs.)

Annexure – IX

(Annexure to e-Auction Notification No./Sangh/Gum/2015-16/4 dated 28.09.2015)

GUMS e-AUCTION 2015-16 SEASON
(C.G.LAGHU VAUPAJ SANGH)

LIST OF UNSUCCESSFUL BIDDERS

(Condition 7 of e-Auction Notice)

e-Auction Closing Date : …………………….

S.No.	Bidder's Name	Deposited E.M.D. to be Refunded (In Rs.)

Annexure – X

Instructions for the Submission of the e-Auction

(Condition 5(II) of e-Auction Notice)

Note: The following steps need to be carried out for online submission of the bids. Detailed instructions for each of the steps are given in the Bidder's Manual on the Home Page of https://cgmfpfed.neml.in.

1. **Sequence of steps for online e-Auction process:**

   Step 1 – To obtain Digital Signature Certificate (DSC) :

The DSC is issued by an approved certifying authority, authorized by the Controller of Certifying Authorities (CCA), Government of India. The individual may obtain information required for issuance of a Class II / Class III DSC from the Controller of Certifying Authorities *(www.cca.gov.in).* The bidder will have to obtain DSC from any CCA approved agency.

DSC is issued upon receipt of mandatory identity proofs and verification letters attested by a Gazetted Officer. Only upon the receipt of the required documents, a DSC can be issued.

Important Note: The offers submitted online should be signed electronically with a DSC to establish the identity of the bidder. In case, during the process of a particular e-Auction, the user loses his/her DSC (eg. due to virus attack, hardware problem, operating system problem etc.) he may not be able to submit the offer online. Hence the users are advised to back up the certificate and keep the copies at safe places under proper security to be used in case of emergencies.

In case of online e-Auction, the DSC issued to the authorized user of a firm and used for electronic e-Auctioning will be considered equivalent to no-objection certificate / power of attorney to that user. The firm has to authorize a specific individual via an authorization certificate signed by all partners to use the DSC as per Indian *IT Act 2000*. Unless the certificate is revoked, it shall be assumed to represent adequate authority of the user to participate in e-Auction on behalf of the firm for the Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-op. Federation Limited (C.G.M.F.P. Federation) e-Auctions as per *Information Technology Act 2000.* The DSC of this authorized user will be binding on the firm. It shall be the responsibility of management / partners of the registered firm to inform the Certifying Authority or Sub-Certifying Authority, if the authorized user changes, and apply for a fresh digital certificate and issue a fresh ***'authorization certificate'*** for the new user.

The same procedure holds true for the authorized users in a Private / Public company. In this case, the authorization certificate will have to be signed by the directors of the company.

Step 2 – Online registration of intending bidder:

In order to participate in the e-Auctions, the bidder is required to be registered with NCDEX e Markets Ltd. (contact list attached with the news paper advertisement & **Annexure - X** point no. 2.3). Only after online registration of the bidder, the bidder shall be allowed to participate in the e-Auctions floated by the C.G.M.F.P. Federation using the e-Auction System.

The following Registration Fee will be charged by the Service Provider (i.e. NCDEX e Markets Ltd.) from the bidder:

Sl. No.	Description	Charges	Service Tax @ 14%	Total Amount
1.	Online Registration (Valid for One Year)	Rs. 2500/-	Rs. 350/-	Rs. 2850/-

Documents required for Registration with the e-Procurement portal

(I) In case of New Registration – The following documents required alongwith online registration form :-

(a) Individual or Proprietorship Firm –

Any one ID Proof and One Address Proof (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	**Address Proof**	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
			Bank Pass Book

(b) Partnership Firm –

(i) **Any one ID Proof and One Address Proof** (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	**Address Proof**	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
			Bank Pass Book

(ii) **Partnership Deed** details which have to be attested by partners with their company seal.

(c) Pvt. & Ltd. Company –

(i) Any one ID Proof and One Address Proof (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	**Address Proof**	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
			Bank Pass Book

(ii) Any one of the Organization proof issued by Government (Attested by authorized signatory of Organization alongwith organization seal)

- **Certificate of Incorporation**
- **Articles of Incorporation**
- **Memorandum of Association**

(d) Hindu Undivided Family (H.U.F.) –

Any one ID Proof and One Address Proof (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	**Address Proof**	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
			Bank Pass Book

The scanned copies of all required documents as above and payment proof of required fees for New registration and only payment proof of required fees for renewal are required to submit by the intending bidder through Customer Service Group, NCDEX e Markets Ltd., Mumbai. After verification of the above documents the NCDEX e Markets Ltd. will registered the Bidder and inform by the e-mail regarding Login Id & Password accordingly.

(II) In case of Renewal – No documents required for renewal of registration.

After obtaining the Digital Certificate successfully installed on their system, the bidder have to be online through main page of the e-Auction platform **https://cgmfpfed.neml.in** and map their Digital Certificate with their Login Id & Password by clicking on **Upload Digital Certificate**.

After mapping DC with login credentials enter login to the system, click on **"I agree to the terms & Conditions"** & upload your DC everytime you want to login to the system & participate in e-Auctions.

Step 3 – Online payment of E.M.D.

EMD can be paid online through Net banking / RTGS /NEFT mode. In case, the detailed procedure is given in condition 14(I) of **Annexure – I**.

It will be solely the bidder's choice to select any of banks options it is understood that the bidder is aware of the payment cycle and other technical requirements/ payment process & It is bidder's responsibility to see that the amount of EMD is credited to NeML account & the same transaction details are entered at fund deposit page & clicked on Submit if any details are found wrong after submission & it will be bidders responsibility to put the same deposit request again with correct credentials & see that it is approved.

It is mostly dependent on the bank procedure to get the amount credited in NeML's account & then only approval will be given for EMD deposit.

Step 4 – Online E-Auction System:

1. Login to the e-Auction system by entering your login details provided by NCDEX e Markets Ltd., Mumbai.
2. Go to the e-Auction bids screen & then select the commodity eg SASEED 2014 (GODOWNED) & then fill the prices/bids for whichever lots you are interested in & click on submit & then confirm.
3. Same process can be followed everytime you want to bid for any lot.

2. Other Information:

2.1 Set-up of Machine:

In order to operate on the e-Auction System, following minimum operating system and hardware is required.

- Windows 7 & above
- Browser Internet Explorer 8 or 9
- Minimum bandwidth 512 kbps
- Minimum RAM 2 GB
- Java version 1.7.0_75
- Pop up blocker - Disabled

2.2 Submission of Online Offers:

Federation and NCDEX e Markets Ltd.will not be responsible for any failure on part of the bidder in participating in the e-Auction and/or the EMD etc. before scheduled time and date, for any reason whatsoever, including, inter-alia, non-credit of said amounts of EMD and therefore no claims shall be entertained on these grounds.

Under this online payment system for e-Auction, the bids will not be submitted unless the sufficient EMD is received/ credited before scheduled time and date. Hence, bidder shall remit the said amount well in advance.

The bidder is advised to submit his/her bids well before the cut-off time and date to avoid any inconvenience on account of any problem e.g. system slow down or network problem.

2.3 Helpline:

For any assistance regarding Registration for e-Auction and other points of e-Auction process, fund management, please contact our service provider **:-**

NCDEX e Markets Ltd., Mumbai ***on following contact details***

Phone No. : 022-66473153 / 54
Email ID – askus@ncdexspot.com

Mr. Arun Soni (Mb - 9893957607), Mr. Sudhir Gupta (Mb - 08099049116)
Mr. Ashwani Singh (Mb - 08123560664)

MANAGING DIRECTOR
Chhattisgarh State Minor Forest Produce
(Trading & Development) Co-op.
Federation Limited

Time Schedule

Annexure – XI

(Annexure to e-Auction Notification No./Sangh/Gum/2015-16/4 dated 28.09.2015)

e-Auction Details for Gums Seaon 2015-16
(Condition 5(II) of e-Auction Notice)

e-Auction Detail	
General Detail	
e-Auction No / Commodity :	**Gums/2015-16/4 Dated 28.09.2015**
Department Name :	Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation Limited
Scope of work :	Advance Sale of Gums of Collection Season 2015-16 (Open for those who registered in Divisional Forest Office under Chhattisgarh Vanopaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1969)
e-Auction Details :	Advance Sale of Gums of Collection Season 2015-16 (Open for those who registered in Divisional Forest Office under Chhattisgarh Vanopaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1969)
Mode of Bids Submission :	Online e-Auction
e-Auction Type :	English Forward e-Auction
Type of Contract :	Advance Sale of Gums
Bidding Type :	National
Consortium :	Not Allowed
Download e-Auction Documents :	Before Login / After Login
Purchaser Location :	Any where in India
Key Dates	
Starting Date and Time of e-Auction :	23/10/2015 from 11:00:00
Ending Date and Time of e-Auction :	28/10/2015 upto 16:00:00
Bid Validity Period (Days) :	Till the decision of e-Auction

Project Duration :	As per e-Auction document
Document to be submitted Physically :	NIL
e-Auction Activity configuration	
Mode of EMD payment :	**Online**
Payment Details	
EMD Amount :	As per e-Auction document
Details	
Eligibility Criteria :	As per e-Auction document
General Terms and condition :	As per e-Auction document
Other Details :	As per e-Auction document
Product/Service/Works Keywords :	Advance Sale of Gums